

STATEMENT SHOWING RAILWAY ACT CASES FOR THE MONTH OF JUNE-2012.

Sections	No. of Cases	Fine realized
137	314	146626
138	4336	1653975
139	00	00
141	302	154908
142	00	00
143	23	3500
144	705	384986
145	171	26920
146	03	500
147	918	129600
153	04	00
154	28	88480
155	521	59080
156	203	16550
157	00	00
159	427	46500
160	18	00
161	01	00
162	289	35800
163	00	00
164	00	00
165	00	00
166	00	00
167	25	1900
172	00	00
173	00	00
174	16	21000
175	00	00
176	00	00
180th	00	00
Total	8304	2770325

Statement showing RP(UP) Act cases for the month of JUNE-2012

Year	No. of Cases detected	Value of Property	Arrest
------	-----------------------	-------------------	--------

		Recovered	OS	RE	RPF
JUNE-2012	42	66288	52	00	00

Statement showing Theft of Railway Property Cases for the month of JUNE 2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
JUNE-2012	42	29	66288	36260	52	00	00

Statement showing Theft of Railway Material Cases for the month of JUNE-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
JUNE-2012	40	29	59128	36260	46	00	00

Statement showing Theft of Booked Consignment Cases for the month of JUNE-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
JUNE-2012	02	00	7160	00	06	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह जून-2012 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा

.....

- दिनांक 01.06.12 को उपनिरीक्षक/रे.सु.ब./जबलपुर श्री मानसिंह व हमराह स्टाफ द्वारा आरक्षण केन्द्र जबलपुर में निगरानी के दौरान एक व्यक्ति नरेन्द्र कुमार वल्द फकीर चंद्र यादव उम्र 58 साल निवासी मकान नं. 713 पंजाबी मोहल्ला गोरखपुर जिला जबलपुर को संदिग्धवास्था में पकड़ा गया । समक्ष गवाहान तलाषी लेने पर उक्त के पास से एक द्वितीय श्रेणी तत्काल टिकट पीएनआर नं. 820-3028256 एक्स जबलपुर से पटना गाड़ी संख्या 12149 किराया 754/- रु. तथा 01 भरा आरक्षण फार्म, 1450/- रु. नकद व एक मोबाइल मिला । पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह संजू के लिये कार्य करता है जिसके एवज में उसे 100/- रु. प्रतिदिन मिलते है । मामला रेल टिकटों के अवैध व्यापार का पाये जाने पर पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध मामला जबलपुर पोस्ट में अपराध क्रमांक 6680/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया तथा उक्त मामले में आरोपी संजू को वांछित घोषित किया गया ।
- दिनांक 02.06.12 को सीआईबी/जबलपुर के स्टाफ द्वारा आरक्षण केन्द्र खुरई में निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति रोषन वल्द मनीराम विष्वकर्मा उम्र 21 साल निवासी षिवाजी वार्ड बीना जिला-सागर को संदिग्धवास्था में पकड़ा गया । समक्ष गवाहान तलाषी लेने पर उसके पास से 04 आरक्षित तत्काल टिकट कीमत 16494/- रु., 01 पुराना मोबाइल तथा 300/- रु. नकद बरामद किये गये । पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चंचल जैन के लिये कार्य करता है जिसके एवज में उसे 100/- रु. प्रतिदिन मिलते है । मामला रेल टिकटों के अवैध व्यापार का पाये जाने पर पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध सागर पोस्ट में 1564/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया । दिनांक 04.06.12 को आरोपी की निषानदेही पर समीर खान पिता सलीम खान उम्र 19 साल निवासी कालूखेड़ी थाना-बीना, जिला-सागर को महावीर चौक, बीना स्थित दुकान से गिरफ्तार कर उसके अवैध कब्जे से 19 खाली आरक्षण फार्म जप्त किये गये व आरोपी को रेल टिकटों के अवैध व्यापार में सम्मिलित पाये जाने पर उक्त अपराध में शामिल किया गया । दिनांक 04.06.2012 को आरोपी रोष विष्वकर्मा के मेमोरेण्डम व निषानदेही पर बीना में महावीर चौक स्थित टिकट घर में छापा मारकर फरार एक अन्य आरोपी समीर खान को पकड़ा गया जो कम्प्यूटर पर रेलवे टिकट बनाने का कार्य करता हुआ पाया गया । दिनांक 05.

- 06.2012 को दोनों आरोपियों को रेल न्यायालय, जबलपुर में पेश किया गया तथा रेल टिकट संचालनकर्ता चंचल जैन को वांछित घोषित किया गया । आरोपी चंचल जैन द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रेक)/जबलपुर को अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दिया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की स्वीकृति प्रदान की गई है । बाद आरोपी चंचल शेखर को पूछताछ हेतु आरपीएफ थाना/सागर में बुलाया गया जिसने रेल टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त होना स्वीकार किया । अतः औपचारिक गिरफ्तारी सुमार कर जमानत पेश किये जाने पर 10000/- रु. की जमानत व उतने की मुचलका राशि पर रिहा किया गया । मामले की जांच जारी है ।
- 3) दिनांक 12.06.2012 को निरीक्षक जबलपुर पोस्ट मय स्टाफ द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गाड़ी संख्या : 8234 नर्मदा एक्सप्रेस, जिसका जबलपुर आगमन समय 21.55 बजे हुआ, को अटेंड किया गया । इंजन से दूसरे कोच में 05 कार्टून व 02 एयर बैग, जिसमें राजश्री गुटखा के पाउच थे, पाये गये । उक्त पैकेजों के पास तीन व्यक्ति क्रमशः राकी पुत्र महेस उम्र 22 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी नरसिंहपुर, जगदीस मेहरा पुत्र सेवकराम उम्र 39 वर्ष निवासी यादव कालोनी जबलपुर एवं सोनू पुत्र मोहन लाल उम्र 23 वर्ष निवासी यादव कालोनी जबलपुर खड़े पाये गए । उन्होंने राजश्री पाउचों को स्वयं का होना बताया तथा यात्रा अधिकार पत्र का न होना बताया । बाद मय माल नामित व्यक्तियों को जबलपुर पोस्ट लाया गया एवं नियमानुसार एस.डी.एम. ओमती के सुपुर्द करने की कार्यवाही की जा रही है ।
- 4) दिनांक 14.06.2012 को उपनिरीक्षक/सीआईबी/जबलपुर व हमराह स्टाफ द्वारा करेली स्टेशन के आरक्षण केन्द्र में निगरानी के दौरान दो बाहरी व्यक्तियों 1. अंशुमन वल्द अरविंद सुसोधिया उम्र 30 साल निवासी जयप्रकाश वार्ड, करेली जिला-नरसिंहपुर तथा 2. विकास नेमा वल्द प्रकाश चंद्र नेमा, उम्र 21 साल, निवासी निरंजन वार्ड करेली जिला-नरसिंहपुर को एक-एक आरक्षित टिकट के साथ पकड़ा गया । पकड़े गये व्यक्तियों के पास से उक्त टिकटों के अलावा 02 पुराने मोबाइल व 3100/- रु. नगद समक्ष गवाहान जप्त किये गये । पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्तियों ने रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया । आवश्यक कार्यवाही के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरपीएफ थाना/जबलपुर में मामला अपराध क्रमांक 6914/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया । मामले की जांच उपनिरीक्षक/जबलपुर श्री मानसिंह कर रहे हैं ।
- 5) दिनांक 14.06.2012 को उपनिरीक्षक/सीआईबी/जबलपुर व हमराह स्टाफ द्वारा नरसिंहपुर स्टेशन में निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति नारायण नेमा वल्द गणेश प्रसाद नेमा उम्र 38 साल निवासी कृष्णा वार्ड स्टेशन रोड नरसिंहपुर को 02 आरक्षित टिकटों के साथ पकड़ा गया । पकड़े गये व्यक्ति के पास से उक्त टिकटों के अतिरिक्त एक पुराना मोबाइल व 4700/- रु. नकद समक्ष गवाहान जप्त किये गये । पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले जनरल स्टोर्स की दुकान चलाता था । दुकान बंद होने के कारण उसने रेल टिकटों की अवैध दलाली का कार्य प्रारंभ किया है तथा वह इससे पूर्व भी उक्त अपराध में बंद हो चुका है । आवश्यक कार्यवाही के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरपीएफ थाना/जबलपुर में मामला अपराध क्रमांक 6915/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया । मामले की जांच स.उ.नि./रे.सु.ब./जबलपुर श्री सुंदर सिंह कर रहे हैं ।
- 6) दिनांक 16.06.2012 को उपनिरीक्षक/सीआईबी/जबलपुर व हमराह स्टाफ द्वारा श्रीधाम स्टेशन के आरक्षण केन्द्र में निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति चन्द्रेश कुमार जैन वल्द राजेश कुमार जैन उम्र 31 साल निवासी मेन रोड सराफा बाजार आजाद वार्ड थाना गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर को दो तत्काल आरक्षित टिकटों 1. पीएनआर नं. 2136115142 गाड़ी संख्या 1094 एक्स जबलपुर से सीएसटीएम एससी-2 किराया 1725/- तथा 2. पीएनआर नंबर 2336115561 गाड़ी संख्या 12622 एक्स इटारसी से चैन्नई किराया 1435/- रु. के साथ पकड़ा गया । पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक मोबाइल व नकद 600/- रु. समक्ष गवाहान जप्त कर आरपीएफ पोस्ट जबलपुर लाया गया । पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्ति ने रेल टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह जितेन्द्र जैन निवासी कछियाना, जबलपुर के लिये कार्य करता है तथा उसे कमीशन के रूप में 50/- से 100/- रु. प्राप्त होते हैं । बाद आरोपी के विरुद्ध आरपीएफ थाना/जबलपुर में मामला अपराध क्रमांक 6940/2012 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया । आरोपी की निशानदेही पर कछियाना निवासी जितेन्द्र जैन वल्द अशोक कुमार जैन, उम्र 27 साल निवासी 493 साहू मोहल्ला कछियाना थाना-लार्डगांज, जिला- जबलपुर को पकड़ा गया व उसके कब्जे से दो आरक्षित टिकट पीएनआर नंबर 8603267586 गाड़ी संख्या 12854 स्लीपर क्लास एक्स मदनमहल से बिलासपुर किराया 564/- रु. तथा पीएनआर नंबर 6002834038 गाड़ी संख्या 11062 स्लीपर क्लास एक्स जबलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, एक कौन्सिल किया गया टिकट, तथा गाड़ी संख्या 11066 के स्लीपर क्लास की जबलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का भरा हुआ आरक्षण फार्म जप्त किया गया । उक्त के पास से एक सेमसंग कंपनी का मोबाइल व 500/- रु. नकद समक्ष गवाहान जप्त किये गये । बाद अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व उक्त अपराध में शामिल किया गया । मामले की जांच उपनिरीक्षक/रे.सु.ब./जबलपुर पोस्ट श्री मानसिंह द्वारा की जा रही है ।
- 7) दिनांक 16.06.2012 को उपनिरीक्षक/सीआईबी/जबलपुर व हमराह स्टाफ द्वारा आरक्षण केन्द्र कटनी में निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति मनोज कुमार ज्ञानचंदानी वल्द सेवा राम उम्र 40 साल निवासी

निवाड़गंज नई बस्ती कटनी को 03 आरक्षित टिकटों 1. पीएनआर नं.6310670424 गाड़ी संख्या 12853 एक्स कटनी से भोपाल स्लीपर क्लास किराया 211/— रु., 2. पीएनआर नं.2804832750 एक्स कटनी से दादर किराया 276/— रु. तथा 3. पीएनआर नं. 8103455842 एक्स सीएसटीएम से कटनी किराया 296/— रु. के साथ पकड़ा गया व अग्रिम कार्यवाही हेतु आरपीएफ थाना/कटनी लाया गया। पकड़े गये व्यक्ति के पास से दो मोबाइल व 783/— रु. नकद समक्ष गवाहान जप्त किये गये। पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्ति ने रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया, अतः आरोपी के विरुद्ध आरपीएफ थाना/कटनी में मामला अपराध क्रमांक 2059/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया। मामले की जांच स.उ.नि./रे.सु.ब./ कटनी श्री डी.के.कुमावत द्वारा की जा रही है।

- 8) दिनांक 16.06.2012 को उपनिरीक्षक/सीआईबी/जबलपुर व हमराह स्टाफ द्वारा आरक्षण केन्द्र कटनी में निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति नारायण हरवानी वल्द स्व. श्री आईनदास हरवान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नं. 10 केम्प उमरिया को 10 आरक्षित टिकटों के साथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से उक्त टिकटों के अलावा एक मोबाइल व 6100/— रु. नकद समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा आरपीएफ लिया गया व पकड़े गये व्यक्ति को आरपीएफ थाना/कटनी लाया गया। पूछताछ करने पर पकड़े गये व्यक्ति ने रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना स्वीकार किया, अतः आरोपी के विरुद्ध आरपीएफ थाना/कटनी में मामला अपराध क्रमांक 2061/12 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत कायम कर जांच में लिया गया। मामले की जांच उ.नि./रे.सु.ब./कटनी श्री अनिल कुमार झा द्वारा की जा रही है।
- 9) दिनांक 07.06.12 को सहायक उप निरीक्षक श्री ओमप्रकाश के हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, प्र.आ. मो0मूर्तजा द्वारा बीना स्टेशन पर दौरान रात्रि गस्त प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर गाड़ी संख्या 12185 रेवाचल एक्सप्रेस के आगमन पर एक व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में घूमते हुये पाये जाने पर उसे रोककर पूछताछ किया तो उसने अपना नाम अंकित गुप्ता पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता उम्र 22 साल नि-मकान नंबर 466 ए समीपुर प्रथम हरविंद नगर पुलिस चौकी चकरी जिला कानुपर उ.प्र. बताया। उक्त व्यक्ति से स्टेशन पर आने संबंधी तथा यात्रा करने संबंधी कोई वैधानिक प्रपत्र देखने को मांगे गये जो उसके पास नहीं था तो शक होने पर कढ़ाई से पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह यात्री गाड़ियों में जेबकतरी का कार्य करता है। उपरोक्त जानकारी मिलने पर उक्त व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय तहरीर शासकीय रेल पुलिस बीना को सुपुर्द किया गया। मामले में शासकीय रेल पुलिस बीना द्वारा मामले की जाँच में पाया कि उपरोक्त आरोपी जेबकतरी के अलावा अन्य अपराधों में भी संलिप्त है जिस पर जीआरपी बीना द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 93/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 03/12 धारा 41 (1-4) सीआरपीसी एवं 379 आईपीसी के तहत दिनांक 12.06.12 को दर्ज कर जाँच में लिया गया।
- 10) दिनांक 13.06.2012 को उप निरीक्षक रेसुबल होषंगाबाद के मोबाइल फोन पर डिप्टी एस. एस. होषंगाबाद ने समय करीबन 23.15 पर सूचना दिया कि मालगाड़ी क्रमांक एमटी कानकोर मे लकडी रखी है और 3 से 4 व्यक्ति बैठे है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक होषंगाबाद तत्काल हमराह स्टाफ के साथ वाय रोड बुदनी स्टेशन पहुचे जहां उक्त गाड़ी बुदनी स्टेशन पर समय 23.48 बजे आकर अप लूप लाईन पर खडी मिली उक्त सूचना के मुताबिक गाड़ी के बेगनो को चेक किया गया तो गार्ड के ब्रेक से पाचवे एनबाक्स मे चरपट दिखाई दी चरपटो को उतारा गया गिनती करने पर 11 नग चरपट सागौन की लकडी मिली और वहा पर आसपास कोई व्यक्ति नहीं मिला बाद उक्त लकडियो को जप्त कर वन विभाग की गाड़ी मगवाई गई जिसमे रखकर उक्त चरपटो को रेसुबल उपथाना होषंगाबाद लाये जप्तषुदा सागौन की चरपट करीबन 0.222 घनमीटर थी जिसका शासकीय मूल्य करीबन 8436/—रुपये तथा बाजार मूल्य करीबन 18000/—रुपये आका गया। आगे की कार्यवाही हेतु जप्त षुदा संपत्ति वन विभाग से संबंधित होने के कारण वन विभाग बुदनी के वन रक्षक पैलेश कुमार सिंह को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय तहरीर सुपुर्द की गई।
- 11) रेलवे ट्रेक की सुरक्षा के उद्देश्य से हबीबगंज-मण्डीदीप के मध्य रेलवे ट्रेक पर पत्थर रखने की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु, पुलिस अधीक्षक भोपाल, पुलिस अधीक्षक (रेल) और वरि.मण्डल सुरक्षा आयुक्त भोपाल द्वारा पुलिस/जीआरपी/आरपीएफ की संयुक्त टीम बनाकार कार्यवाही हेतु तैनात किया गया था। उक्त टीम के प्रभारी उप निरीक्षक/रेसुब श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान दिनांक 18.06.2012 को आ सूचना पर रेलवे ट्रेक पर पत्थर रखने वाले एक बाहरी व्यक्ति नाम जयराम पुत्र पूनम चंद हरिजन उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम भगौरा, थाना-सुठालिया, जिला-राजगढ हाल बी-11 टीव्हीएस शोरूम के उपर, विद्यानगर, थाना बागसेवनिया, भोपाल को पकड़ा गया। घटना के संबंध में उन्होने बताया कि उसके द्वारा रेलवे ट्रेक पर बिना किसी उद्श्य के पत्थर रखने की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी का उक्त कार्य सीधे तौर पर रेल परिचालन व यात्री सुरक्षा को खतरा से जुड़े होने के कारण उक्त उक्त लड़के के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हबीबगंज में अपराध क्र. 952/12 अंतर्गत धारा 153 व 147, 145, 146, रेल अधिनियम पंजीकृत कर जाँच में लिया गया एवं दिनांक 18.06.2012 को उक्त आरोपी को विशिष्ट रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष पेश किया गया। रेलवे न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

- 12) दिनांक 09.06.12 को चारखेड़ा खुर्द-छनेरा स्टेशनों के बीच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेलवे ट्रेक पर पत्थर व गिट्टियाँ रख दिये जाने के कारण गाडी क्रमांक 04011 डाउन षिरडी-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के इंजन का केटल गार्ड डेमेज हो गया था। घटना स्थल से इंजन से टकराये पत्थरों के टुकड़ों को जप्त कर स्थानीय सूत्रों व पुलिस के सहयोग से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सुरागरसी कर सूचनाएँ एकत्र की गई। मामले की जांच के दौरान दिनांक 11.06.12 को श्री एस.सी.दुबे उप निरीक्षक के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल छनेरा द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से 03 संदिग्ध लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. नर्मदा प्रसाद उर्फ बलई उर्फ नरेश पुत्र सदाराम सितोले जाति बलई उम्र 21 साल निवासी आनंद नगर वार्ड नं. 05 खिरकिया, थाना छीपाबड जिला हरदा म.प्र. 2. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र अनोखीलाल हाथिया जाति बलई उम्र 19 साल निवासी फोकटे पुरा राजीव नगर खिरकिया, थाना छीपाबड जिला हरदा 3. जितेन्द्र पुत्र स्व. सखाराम जाति बलई उम्र 19 साल निवासी सेक्टर नं. 06 नयाहरसूद खंडवा जिला खंडवा म.प्र. बताया। घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उक्त तीनों लड़कों ने बताया कि उन्होंने रेल लाईन के किनारे शौच करने के दौरान बिना किसी कारण के रेलवे ट्रेक पर पत्थर रखे दिये थे। आरोपियों का उक्त कार्य सीधे तौर पर रेल परिचालन व यात्री सुरक्षा को खतरा से जुड़े होने के कारण उक्त तीनों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल आऊट पोस्ट छनेरा में अपराध क्र. 219/12 अंतर्गत धारा 153 व 147, 145, 146, 174 रेल अधिनियम पंजीकृत कर जांच में लिया गया एवं दिनांक 12.06.12 को उक्त तीनों आरोपियों को विशिष्ट रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष पेश किया गया। रेलवे न्यायालय द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
- 13) दिनांक 20.06.12 को निरीक्षक इटारसी व उपनिरीक्षक आर. बी. सिंह तथा जीआरपी थाना प्रभारी ए. पी. गोस्वामी, उपनिरीक्षक जे. पी. पाण्डेय, सउनि ए. के. मिश्रा व स्टाफ स्टेशन पर गस्त के दौरान नागपुर आउटर के पास कुछ लोग यात्री गाडियों में लूटपाट की नियत से बैठे होने की सूचना पर महिला डिब्बे में लूटपाट करने की योजना बना रहे 05 व्यक्तियों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 03 चाकू व 02 चाकू झाडियों के पास पड़े मिले। पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम 01. दीपक काकिया पुत्र लालचंद जाति कहार उम्र 23 साल नि.ठाकुर मोहल्ला टावर के पास सिवनी मालवा जिला होषंगाबाद 02. राहुल उर्फ चीता पुत्र ईश्वरदास मालवीय उम्र 23 वर्ष नि.चतरखेडा सिवनी मालवा जिला होषंगाबाद 03. राहुल उर्फ रेनु जाटव पुत्र अन्नीलाल जाटव उम्र 20 साल नि.महादेव वार्ड करेली जिला नरसिंहपुर 04. दशरथ उर्फ टन्टू पुत्र हेमराज सिंह जाति राजगौड ठाकुर उम्र 18 वर्ष नि.नेहरु वार्ड पिपरिया 05. जमीर खान पुत्र मुन्नी खान जाति मुसलमान उम्र 18 साल निवासी कोहिया वार्ड पिपरिया बताया और बताया कि नागपुर आउटर पर रुकने वाली किसी यात्री गाडी के महिला डिब्बे को लूटने की नियत से यहां उपस्थित हुये थे। बाद निरीक्षक प्रभारी जीआरपी द्वारा उक्त पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जहां सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/12 धारा 399, 400, 402, आईपीसी व 25 आर्मस एक्ट दिनांक 20.06.12 को दर्ज किया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी जीआरपी इटारसी द्वारा की जा रही है।
- 14) दिनांक 21.06.12 को रेलवे कालोनी हबीबगंज स्थित रेल आवास क्रमांक 410/बी में निवासरत महिला रेल कर्मि श्रीमति सुषमा गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता उम्र 47 साल पद सीनियर क्लर्क मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल अपने आवास पर दोपहर 01.40 बजे लंच के लिये आई थी। आगन में डाले गये कपड़ों को जैसे ही आवास के अंदर ले जाने लगी तो एक लडका दिखाई दिया जिस पर वह उससे पूछी कि यहा क्यों आये हो तो उस लडके ने चाकू निकालकर महिला पर हमला करने का प्रयास किया महिला ने चाकू को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया जिससे हाथ की उंगली में चोट आई और खून निकलने लगा चाकू महिला कर्मि के पकड़े जाने पर बाहरी लडके ने चाकू को छोड़ देने व नही छोड़ने पर जान से मार देने की धमकी दिया। महिला के चिल्ला चोट मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो चाकू मारने वाला लडका भागकर बाजू में बनी बिलडिंग की तरफ भाग गया। उपरोक्त घटना की सूचना रेल आवास क्रमांक 410/सी में निवासरत स्टेशन प्रबंधक श्री के एन द्विवेदी द्वारा सउनि श्री एस के शर्मा को दिये जाने पर हमराह प्रधान आरक्षक षवाहत खान के मौके पर उपस्थित हुये व हमलावर लडके की जानकारी लेकर उसकी तलाश किये तो वह रेल आवास ब्लाक नंबर 307 के छत पर छुपकर बेटा मिला, स्टाफ ने साहस दिखाते बिना कोई देर किये हमलावर को मय चाकू के साथ धरदबोचा तथा आरोपी व पीडित रेलकर्मि महिला को साथ लेकर पुलिस थाना बागसेवनिया गये। जहा पर महिला की शिकायत पर थाने पर अपराध क्रमांक 347/12 धारा 324, 506 आईपीसी के तहत दिनांक 21.06.12 को कायम कर हमलावर आरोपी संजू पुत्र सुरेश सिंह उम्र 24 साल निवासी गली नंबर 23 पालिवाल की गली अषोका गार्डन भोपाल को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच प्रधान आर.सुमेर सिंह द्वारा की जा रही है।